न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय्–सह विशेष न्यायाधीश(उत्पाद), समस्तीपुर।

खानपुर थाना काण्ड सं0 72/17

14.10.20 आवेदक **1. मनोज सहनी उर्फ अरविन्द कुमार सहनी,** जो खानपुर थाना काण्ड सं0 72/17, धारा–341, 323, 379, 504/34 भा0द0वि0 एवं धारा–37(c) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधि0 2016 के अन्तर्गत दिनांक 9.10.20 से काराधीन है, की ओर से ऑनलाईन दाखिल जमानत आवेदन पर आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान वि0 लोक अभियोजक को सुना।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री रजनी रंजन के द्वारा जमानत आवेदन प्रचालित करते हुए निवेदन किया गया, कि आवेदक निर्दोष है, उसने कोई अपराध कारित नही किया है। उसके विरूद्व लगाया गया आरोप मनगढ़त, असत्य एवं निराधार है। उसने किसी प्रकार के शराब का सेवन नही किया है। उसे मात्र जमीनी विवाद के कारण इस वाद में फॅसा दिया गया है। आरोपित धाराऍ उसके विरूद्व नही बनती है। वह दिनांक 9.10.20 से काराधीन है। अतः उसे जमानत पर मुक्त करने का आदेश देने की कृपा की जाए।

विद्वान वि0 लोक अभियोजक श्री रामलखन राय के द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। इस वाद की प्राथमिकी आवेदक अभियुक्त एवं अन्य के विरूद्व धारा–341, 323, 379, 504/34 भा0द0वि0 एवं धारा–37(c) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधि0 2016 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया है। प्राथमिकी के अनुसार अभियुक्तगण के विरूद्व शराब पीकर सूचक के साथ गाली–गलौज करने तथा जान मारने की धमकी देने एवं आवेदक अभियुक्त मनोज सहनी द्वारा सूचक से एक्कीस हजार रू0 एवं सोने का चैन छीन लेने का आरोप है। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि पुलिस द्वारा घटनास्थल पर पकड़े गये अभियुक्त क्रमशः बमबम राय एवं रोहित सहनी को दं0प्र0सं0 की धारा–59 के अन्तर्गत दिनांक 31.5.17 को ही पुलिस अभिरक्षा से मुक्त करने का आदेश पारित किया गया है। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक घटनास्थल पर नही पकड़ा गया है और न ही उसके पास से तथाकथित छीने गये रूपये एवं सोने का चैन बरामद किया गया है। उभय पक्ष के बीच जमीनी विवाद है। आवेदक दिनांक 9.10.20 से काराधीन है।

उपरोक्त विवेचित परिस्थितियों में आरोप की प्रकृति एवं कारावधि को देखते हुए आवेदक अभियुक्त **1. मनोज सहनी उर्फ अरविन्द कुमार सहनी** को मो0 बीस हजार रू0 के बंद्व–पत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभूति दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है। एक जमानतदार आवेदक अभियुक्त का निकटतम संबंधी होगा। साथ ही यह भी आदेश दिया जाता है कि आवेदक अभियुक्त इस आशय का वचन–पत्र दाखिल करेगा, कि वह वाद के निस्तारण तक प्रत्येक निश्चित तिथि को न्यायालय में सदेह उपस्थित रहेगा।

(लेखापित)

अपर सत्र न्या02
सह वि0 न्या0उत्पाद